ठियोग व कोटखाई में चिट्टा सप्लाई करने वाला गिरफ्तार

आरोपित के पास 49 ग्राम चिट्टा 1.02 लाख रुपये, इलेक्ट्रानिक भार मशीन मिली, इस मामले में अब तक 72 ग्राम चिट्टा बरामद

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल के युवाओं तक चिट्टे की खेप पहुंचाने के लिए नशा तस्करों ने दूसरे राज्यों को ठिकाना बनाया है। ऐसे ही एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए शिमला पुलिस ने हरियाणा के पंचकूला जिले के पिंजौर से मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपित ओमकार पिंजौर में बैठकर ठियोग व कोटखाई क्षेत्र में चिट्टे की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने उसके ठिकाने से 49 ग्राम चिट्टा, 1,02,500 रुपये व भार तौलने की इलेक्ट्रानिक मशीन बरामद की है। इस मामले में पुलिस अब तक करीब 72 ग्राम चिट्टा बरामद कर चुकी है।

12 नवंबर को पुलिस ने 37 वर्षीय भूषण व 39 वर्षीय सुरेश निवासी कोटखाई को 23 ग्राम चिट्टे समेत गिरफ्तार किया था। इस संबंध में पुलिस थाना ठियोग में मामला दर्ज किया। दोनों आरोपितों से पूछताछ और उनकी काल डिटेल खंगालने पर पता चला कि वे ओमकार से फोन के माध्यम से चिट्टा खरीदते थे और इसका भुगतान नकद करते थे। इसके बाद पुलिस ने मुख्य सप्लायर की पहचान की और टीम को पिंजौर भेजा। पुलिस ने 15 नवंबर को आरोपित को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान वहां 49 ग्राम चिट्टा, नकदी व भार तौलने की इलेक्ट्रानिक मशीन बरामद हुई। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित के विरुद्ध वर्ष 2021 में पुलिस थाना ठियोग में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामले पहले से दर्ज हैं। इसके बावजूद वह ठियोग व कोटखाई क्षेत्र में नशे की सप्लाई में सक्रिय था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला मेहर पंवर ने बताया कि नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है।

बाइक में मिला 138.38 ग्राम चिट्टा, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बीबीएन : बद्दी पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने सम्भोवाल गांव में बाइक की तलाशी ली तो 138.38 ग्राम चिट्टा मिला। टीम ने आरोपित लक्की चौधरी निवासी गांव घंसौत तहसील नालागढ़ को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध नालागढ़ थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

धर्मपुर में 23.18 ग्राम चिट्टे समेत दो लोग गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जागरण • सोलन : जिला पुलिस सोलन की एसआइयू टीम ने धर्मपुर में कार सवार लोगों को 23.18 ग्राम चिट्टे समेत गिरफ्तार किया है। आरोपित जोगिंद्र कुमार गांव हड़ाल व पंकज मुस्टा गांव बटाली तहसील रोहड़ू के रहने वाले हैं। पुलिस ने कार को जब्त कर धर्मपुर थाना में आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। एसपी टीएसडी वर्मा ने मामले की पुष्टि की है।

काले झंडे और गोबर के तसले लेकर चंबा के लोगों का प्रदर्शन

स्वास्थ्य सेवाओं व परिवहन व्यवस्था में सुधार की उठाई मांग

- मेडिकल कालेज में बच्ची समेत तीन मौत की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
- मेडिकल कालेज को सरोल में शिफ्ट करना है तो सभी ओपीडी एक ही स्थान पर शुरू करें



चंबा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं व परिवहन व्यवस्था में सुधार की मांग के समर्थन में धर्मशाला के तपोवन में काले झंडे व गोबर के तसले लेकर प्रदर्शन करते लोग • जागरण

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : चंबा जिले की स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सोमवार को तपोवन विधानसभा परिसर के बाहर चंबावासियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर के बाहर से जोरावर स्टेडियम तक मौन जुलूस निकाला। काले झंडे दिखाकर और गोबर के तसले लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से मुलाकात नहीं हो पाने का मलाल भी रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जिले की प्रमुख समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग उठाई।

प्रदर्शनकारियों में एडवोकेट जयसिंह, विकास, दत्तो राम आदि ने आरोप लगाया कि जब वे काले झंडे और गोबर के तसले लेकर विरोध जता रहे थे। बिना वर्दी मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनसे झंडे और तसले छीन लिए। उन्हें करीब ढाई घंटे तक जोरावर स्टेडियम में बैठाए रखा। प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल कालेज चंबा में बच्ची सहित तीन लोगों की मौत के मामलों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि जुलाई में एक युवक और मासूम बच्ची की मौत के मामलों में जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। जिम्मेदार चिकित्सकों पर कार्रवाई को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

प्रदर्शनकारियों ने पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज चंबा में डाक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को उपचार के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। मिंजर मेले के दौरान सरोल में मेडिकल कालेज का उद्घाटन किया गया, लेकिन अभी तक वहां महज तीन ओपीडी ही शुरू हो पाई हैं। प्रतिदिन करीब 10 से 12 मरीज ही उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने मांग की कि यदि मेडिकल कालेज को सरोल में शिफ्ट करना है तो सभी ओपीडी एक ही स्थान पर शुरू की जाएं, ताकि मरीजों को अलग-अलग जगह भटकना न पड़े। ट्रामा सेंटर शुरू न होने से दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को टांडा मेडिकल कालेज रेफर करना पड़ रहा है।

202 से घटकर 115-120 रह गए बस रूट

एचआरटीसी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले चंबा जिले में करीब 202 रूट पर बसें चलती थीं, लेकिन बसों की कमी के चलते अब 115 से 120 रूट पर ही नियमित सेवा मिल पा रही है। बसों के रखरखाव के लिए करीब 222 मैकेनिकल कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि महज 49 कर्मचारी ही सेवाएं दे रहे हैं। इससे बसों की मरम्मत और संचालन प्रभावित हो रहा है।

14 डिपो समय पर नहीं दे रहे राशन अनियमितता पर सरकार सख्त

हंसराज सैनी • जागरण

विधानसभा में मुख्यमंत्री ने रखा ब्योरा, लापरवाही बरतने वाले 13 डिपो संचालकों पर गिरी गाज, चंबा शिमला में सबसे अधिक मामले

धर्मशाला : प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई उचित मूल्य की दुकानें (डिपो) उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही हैं। स्थिति यह है कि राज्य में पिछले छह महीनों के भीतर 14 डिपो ऐसे पाए गए, जहां तय समयसीमा के भीतर राशन की आपूर्ति नहीं हो सकी। सरकार ने साफ कर दिया है कि आम जनता के हक के राशन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चुराह के विधायक डा. हंसराज के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि समय पर राशन न पहुंचाने के मामलों में चंबा और शिमला जिले सबसे आगे रहे हैं। इन दोनों ही जिलों में पांच पांच उचित मूल्य की दुकानें निर्धारित समयावधि के भीतर उपभोक्ताओं को राशन का वितरण करने में विफल रहीं। राहत की बात यह है कि राज्य के अन्य नौ जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, लाहुल स्पीति, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और ऊना में स्थिति नियंत्रण में रही और इन जिलों में एक भी डिपो में देरी की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई

विभाग ने तत्परता दिखाते हुए इनमें से 288 शिकायतों की जमीनी स्तर पर गहन जांच की। जिलावार कार्रवाई की बात करें तो कांगड़ा में सबसे अधिक पांच डिपो संचालकों के विरुद्ध शिकंजा कसा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि डिपो की नियमित मानिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि हर गरीब और पात्र परिवार को समयबद्ध तरीके से पूरा राशन मिल सके।

मेजर मनकोटिया व नंद लाल को दी श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूरो, जागरण • धर्मशाला : तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को विधायक नंद लाल और पूर्व विधायक मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया। श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जताई।

शोक प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक बलबीर वर्मा, केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार, मोहन लाल ब्राक्टा तथा डा. हंस राज ने भी विचार रखे।

297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में तकनीकी मानकों का किया पालन : सरकार

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की 297 टाइप-1 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर उठे सवालों पर प्रदेश सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने जारी बयान में बताया कि बसों की खरीद में निविदा की सभी शर्तों व तकनीकी मानकों का पालन किया है। निगम ने न तो किसी तकनीकी शर्त में छूट दी और न ही निविदा प्रविधानों में कोई बदलाव किया है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, निदेशक मंडल के निर्णय के तहत 36 मार्गों पर बसों का परिचालन परीक्षण किया जाना था। इनमें से 30 मार्गों पर परीक्षण पूरा किया गया, जबकि छह मार्गों पर चार्जिंग सुविधा नहीं होने से परीक्षण नहीं हो सका। परीक्षण के दौरान 80 प्रतिशत बैटरी चार्ज की निर्धारित सीमा में 180 किलोमीटर की अनिवार्य ड्राइविंग रेंज हासिल की गई। निर्धारित रेंज वाली बसों ने परीक्षण में 193 किलोमीटर तक की दूरी तय की। 30 मार्गों पर बसों ने औसतन 73 प्रतिशत बैटरी खपत के साथ निर्धारित दूरी पूरी की। प्रवक्ता ने दावा किया कि वर्तमान में नियमित परिचालन के दौरान ये बसें एक बार चार्ज करने पर 276 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रही हैं। अब तक किसी बस के खराब होने से रास्ते में खड़े होने की घटना सामने नहीं आई है। कंपनी से जुलाई, 2026 में बसें प्राप्त करने से पहले तकनीकी मानकों और निर्धारित निर्देशों का परीक्षण एवं सत्यापन किया था। डिपोवार आवंटन की जानकारी कंपनी को बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बीमा, अस्थायी पंजीकरण सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दी गई थी।

एक नजर में

उमेश शर्मा इंटक के प्रदेश महासचिव नियुक्त


उमेश शर्मा • जागरण

शिमला : नालागढ़ के विधायक एवं इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह बावा ने कुल्लू के उमेश कुमार शर्मा को भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के संगठन का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। यह पहली नियुक्ति की गई है। उमेश इंटक के संगठनात्मक व प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। (जासंके)

एमएससी नर्सिंग की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी

मंडी : अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने एमएससी नर्सिंग की प्रोविजनल सीट एलोकेशन की मेरिट सूची जारी कर दी है। करीब 40 प्रशिक्षुओं के नाम माप अप राउंड के बाद इस सूची में शामिल किए गए हैं। विवि के लिए परीक्षा नियंत्रक डा. राजेश भवानी ने बताया कि अंतिम सूची भी एक दो दिन में जारी कर दी जाएगी। प्रशिक्षुओं को दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा है। (जासं)

11 को स्थगित परीक्षाएं अब 21 से 28 तक होंगी

शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से 11 नवंबर को स्थगित की गई स्नातक व शास्त्री की परीक्षाएं अब 21 से 28 नवंबर तक होंगी। सोमवार को इन परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। बीए, बीएससी व बीकाम प्रथम वर्ष के कुछ विषयों की परीक्षाएं 23 व 27 नवंबर को होंगी। द्वितीय वर्ष के संस्कृत, पत्रकारिता और बीकाम के कास्ट अकाउंटिंग विषय की परीक्षा 27 नवंबर को होगी। (जासं)

अनुशासनहीनता पर सेसराम व निर्मला से 10 दिन में मांगा जवाब


विनय कुमार • जागरण आर्काइव

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में अनुशासनहीनता के मामलों पर दो पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कुल्लू जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद व बिलासपुर जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष निर्मला राजपूत से जवाब मांगा है। दोनों को 10 दिन के भीतर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल व प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संगठन में अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी।

सेसराम आजाद को कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित प्रस्ताव के मामले में नोटिस दिया है। उनके नेतृत्व में हुई बैठक में विधायक सुंदर ठाकुर को मंत्री बनाने की मांग उठाई गई थी। साथ ही मीडिया में यह बयान भी आया था कि यदि सुंदर ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया तो सामूहिक त्यागपत्र दिया जाएगा। निर्मला राजपूत को बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की उपस्थिति में हुई थी।

यूआइटी के दो नोटिस से असमंजस में विद्यार्थी परीक्षा फार्म जमा करवाने के लिए एक दिन

पहले सोमवार को ही परीक्षा फार्म और शुल्क जमा करवाने को कहा फिर मंगलवार तक का दिया समय



जागरण संवाददाता, शिमला : यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (यूआइटी) के एक दिन में दो नोटिस से विद्यार्थी असमंजस में हैं, क्योंकि एक में आज ही परीक्षा फार्म और फीस जमा करवाने और दूसरे में 17 तक जमा करवाने का समय दिया है। संस्थान की ओर से 16 नवंबर को दोपहर बाद जारी नोटिस में तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को एक दिन में ही परीक्षा फार्म भरकर जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद फार्म जमा करवाने पर लेट फीस लगेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों को एक दिन में ही पूरी औपचारिकताएं करनी होंगी।

इसी बीच सोमवार को एक अन्य नोटिस में यूआइटी प्रशासन ने विषम सेमेस्टर की नियमित और री-अपीयर परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी अब 17 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क परीक्षा फार्म जमा करवाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले बिना विलंब शुल्क परीक्षा फार्म जमा करवाने की अंतिम तिथि तीन नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित की गई थी।

इसके अलावा प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को भी आरएमई और प्री-एग्जामिनेशन फार्म जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने फार्म जमा नहीं करवाए हैं या उनमें गलतियां या फार्म अधूरे भरे हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। संस्थान के निदेशक ने विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि फार्म में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करें। किसी तरह की परेशानी होने पर यूआइटी कार्यालय में तुरंत संपर्क करें। लंबित या गलत फार्म भरने वाले विद्यार्थियों को मंगलवार तक कार्यालय पहुंचने को कहा है।

कसोल घूमने निकले पर्यटकों की टेंपो ट्रेवलर खाई में गिरी, 12 घायल

- मणिकर्ण के सरसाड़ी के पास दोपहर बाद सामने आ रहे वाहन को पास देते हुए हादसा
- खाई में गिरते पेड़ से अटकी टेंपो ट्रेवलर, नहीं रुकती तो पार्वती नदी में समा जाती
- हादसे में घायल सभी आपस में रिश्तेदार, ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाले हैं


जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में सरसाड़ी के पास सड़क हादसे का शिकार टेंपो ट्रेवलर • सौ. पाठक

संवाद सहयोगी, जागरण • कुल्लू : कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में पर्यटकों से भरी एक टेंपो ट्रेवलर खाई में गिर गई। सरसाड़ी के समीप हुए इस हादसे में 12 पर्यटक घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया। घायल पर्यटक ओडिशा के रहने वाले व आपस में रिश्तेदार हैं।

मनाली से सोमवार को ओडिशा के चालक समेत करीब 12 पर्यटक कसोल घूमने निकले थे। मणिकर्ण के सरसाड़ी के पास करीब 1:30 बजे सामने आ रहे एक वाहन को पास देते टेंपो ट्रेवलर (एचआर 67डी-3613) अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि टेंपो ट्रेवलर खाई में एक पेड़ से अटक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया और वाहन पार्वती नदी में समाने से बच गया। दुर्घटना में 12 पर्यटकों को चोटें आई हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सड़क से गुजर रहे अन्य वाहनों में सवार लोग भी अपनी गाड़ियां रोककर घायलों की मदद के लिए नीचे उतरे। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। स्थानीय स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध करवाने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की हालत खतरे से बाहर है। दुर्घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। वाहन अनियंत्रित कैसे हुआ और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच में पुलिस टीम जुटी है।

50 किलोमीटर के दायरे में प्रशिक्षण के लिए अब नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को अब 50 किलोमीटर के दायरे में आयोजित प्रशिक्षण, बैठक, सेमिनार या अन्य सरकारी कार्यों के लिए आने-जाने में अतिरिक्त दो दिन नहीं मिलेंगे। शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि यदि प्रशिक्षण स्थल तक उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध है तो कर्मचारियों को कार्यक्रम समाप्त होने के दिन ही लौटना होगा। उन्हें अगले दिन संबंधित संस्थान या तैनाती स्थल पर उपस्थित होना होगा।

स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से अक्टूबर, 2026 में जारी आदेश सभी उपनिदेशकों (उच्चतर, प्रारंभिक व गुणवत्ता शिक्षा) को भेजे गए हैं।

अधिक वसूली नहीं कर सकेंगे कालेज, हास्टल लेना इच्छा पर निर्भर

- स्वास्थ्य विभाग ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक को जारी किया पत्र
- स्वीकृत फीस वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी, कल तक मांगी अनुपालन रिपोर्ट

जागरण संवाद केंद्र, शिमला : हिमाचल में निजी व संबद्ध शिक्षण संस्थानों की ओर से विद्यार्थियों से निर्धारित फीस से अधिक वसूली और हास्टल फीस अनिवार्य करने के मामलों पर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक को पत्र जारी कर सभी संबद्ध कालेजों में सरकार की ओर से स्वीकृत फीस का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव मधु चौधरी की ओर से 16 नवंबर को जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ कालेज स्वीकृत दरों से अधिक फीस वसूल रहे हैं। कुछ मामलों में विद्यार्थियों को हास्टल फीस का भुगतान करने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कालेज को पाठ्यक्रमवार स्वीकृत फीस का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी सभी पाठ्यक्रमों की फीस संरचना उपलब्ध करवानी होगी। इसमें प्रवेश से संबंधित सभी अनिवार्य शुल्क शामिल होंगे, ताकि विद्यार्थियों व अभिभावकों को पहले से ही भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी मिल सके। विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों को सीट आवंटित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ई-मेल, वाट्सएप व पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकृत फीस की जानकारी देनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कालेज निर्धारित फीस से अतिरिक्त शुल्क या किसी प्रकार की लेवी नहीं वसूल सकेगा। हास्टल सुविधा को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। किसी भी विद्यार्थी के लिए हास्टल में रहना अनिवार्य नहीं होगा। जो विद्यार्थी इच्छा से हास्टल लेंगे उनसे ही निर्धारित दरों के अनुसार फीस ली जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने विश्वविद्यालय को फीस से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए अलग ई-मेल और फोन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। शिकायतों के समयबद्ध निपटारे की व्यवस्था करनी होगी। विद्यार्थियों व अभिभावकों को यह जानकारी भी देनी होगी कि वे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर अतिरिक्त या अनधिकृत फीस वसूली की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय को सभी संबद्ध कालेजों में तत्काल निर्देश लागू करवाकर 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा है।

दिव्यांग श्रेणी के 32 पदों की चयन सूची जारी, 13 पद रिक्त

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सीबीएससी से संबद्ध सरकारी स्कूलों में दिव्यांग श्रेणी के तहत अनुबंध आधार पर अंग्रेजी व गणित के अध्यापकों की चयन सूची जारी कर दी है। योग्य व पात्र उम्मीदवार न मिलने से 13 पद रिक्त रह गए हैं। इनमें अंग्रेजी विषय में छह पद श्रवण बाधित व बहु-दिव्यांग श्रेणी और गणित विषय में सात पद दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित व बहु-दिव्यांग श्रेणी के शामिल हैं। निदेशालय ने अंग्रेजी व गणित के अध्यापकों के पदों के लिए रोजगार सेल हमीरपुर की ओर से प्रायोजित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच के बाद आदेश दिए हैं। इसके तहत चयनित व प्रायोजित अभ्यर्थियों अमरजीत सिंह चौहान, दिनेश कुमार, विपन कुमार, बादल सिंह चौहान, पवन कुमार ठाकुर, अनिल कुमार व घनश्याम को 20 नवंबर को सुबह 10:30 बजे निदेशालय की सीबीएसई शाखा में सभी मूल प्रमाणपत्रों के साथ काउंसिलिंग के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय कार्यालय, शिमलाः- प्रथम तल, डोगरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (संकट हाइट्स), नियर एप्पल मंडी, भट्टाकुफर, संजौली, शिमला, हि.प्र. - 171006
ई-नीलामी बिक्री सूचना
यहां स्कैन करें विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए

अनुबंध-ई
अचल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
[परिशिष्ट- II ए नियम 6(2) के साथ अचल संपत्ति के लिए]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां जो प्रतिभूति लेनदार को बंधक/गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है, उन्हें "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" और "WHATEVER THERE IS" के आधार पर नीचे उल्लिखित खाते/खातों में देय राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा, **किसी भी देयता/देय राशि की पहचान क्रेता पर होगी न कि बैंक पर। ऋणकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / जमानतदार(ओं) / प्रतिभूति आस्तियों / देय राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी** की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः-

शाखा का नाम और ऋणकर्ता(ओं) / जमानतदार(ओं) और बंधककर्ता(ओं) का पता	अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई ज्ञात भार हो	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तारीख और समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (प्रत्याशित / भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय
शाखा कार्यालयः- धर्मशाला (1) मेसर्स जारसो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः- 51/10 थानेरा मोहल्ला, पी.ओ. मंडी, तहसील सदर, पाटनजली चिकित्सालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश - 175001 (2) श्री अमित कुमार (निदेशक और जमानतदार), पताः- गुरुद्वारा रोड, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. (3) श्री सुमित कुमार (निदेशक और जमानतदार), पताः- गुरुद्वारा रोड, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. (4) श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री प्रेम चंद (जमानतदार), पताः- गीता भवन मंदिर के पास, 565, पुरानी चारी रोड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।	वह समस्त भाग और पार्सल संपत्ति जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, खसरा नंबर 493, खतौनी नंबर 1337, खसरा नंबर 951, 952 किता 2 माप 71-12 वर्ग मीटर के 1/3 हिस्से के साथ, माप 23.71 वर्ग मीटर, उप मोहल धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. में स्थित है। **उत्तर में:** श्री अशोक शर्मा और भाइयों का घर; **दक्षिण में:** पुरानी चारी रोड पर; **पूर्व में:** श्री राम चंद, कल्याण चंद आदि की दुकान; **पश्चिम में:** नगरपालिका सड़क और श्री राजू रस्तोगी की संपत्ति।	रु. 29,33,345.54 (मूलधन) + रु. 13,51,443.19 (अप्रयुक्त ब्याज) + रु. 9,050.30 (ब्याज वापसी) + रु. 14,81,142/- (दंडात्मक ब्याज)। **कुल देय राशि - रु. 57,74,981.03 (सत्तावन लाख चौहत्तर हजार नौ सौ इक्यासी रुपये और तीन पैसे मात्र) 14.11.2026 तक** + आगे का ब्याज और वसूली तक के शुल्क।	07.12.2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	Rs. 18,45,000/- / Rs. 1,84,500/- / Rs. 25,000/-	बैंक का भौतिक कब्जा	18.11.2026 से 05.12.2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक। (केवल पूर्व नियुक्ति के साथ)

संपर्क नंबरः एमः 62832-85071
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 07.12.2026 शाम 06:00 बजे तक।
ई-नीलामी शुरू होने की तिथि और समयः 07.12.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक। ईएमडी भुगतान का तरीकाः एनईएफटी
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://Baanknet.com पर देखें/विज़िट करें।
इसे सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना माना जाए।
तिथिः 16.11.2026 स्थानः धर्मशाला (हि.प्र.) प्राधिकृत अधिकारी

HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LTD.
(A State Government Undertaking)
Registered Office :- VIDYUT BHAWAN, HPSEBL, SHIMLA-171004 (HP)
no. (CIN): :- U40109HP2009SGC031255
GST NO :- HPSEBL02AACCH4894EHZB
Phone no. :- 0177-2803600, 2801675 (OFFICE) 2658984 (FAX)
Website :- www.hpseb.com , E.Mail:- md@hpsebl.in & directorfa@hpseb.in

(e- Tender cum reverse auction mode only)
Online tenders are hereby invited (Two part bid system) by the undersigned and on behalf of Managing Director, HPSEBL, Shimla-4 from the bidders/joint venture firms/Co-operative Societies of Retired Employees of HPSEBL having A-Class Electrical Contractor license from Chief Electrical Inspector for the following works. The dates of sale/Receipt and opening of tender is as per detail given below:-

Tender No.	Description of work	Estimated cost	Earnest money	Cost of tender document i/c GST	Completion Period
DB-Tender-25(Rep. of GO Switch)/2026-27	Prov., Fixing of new 22/11 kV GO Switch and Replacement of Existing 22/11 kV GO Switch in various Sub-Divisions under ED, Shimla-I	Rs, 17,67,179/- only	Rs, 17,672/- only	Rs, 590/- only	3 months
DB-Tender-26(SOP LWSS Tikkri and Antroli)/2026-27	SOP to LWSS Tikkri-Dhanat Stage-II and New Vegetable Market at Antroli under ESD Nerwa	Rs, 42,90,318/- only	Rs, 42,903/- only	Rs, 1180/- only	3 months
DB/Tender/No-27(SOP Ice Skating Rink)/2026-27	Providing SOP to the Newly proposed 11/0.4 KV, 250 KVA Substation at Ice skating rink Lakkar Bazar, under ESD Idgah.	Rs, 36,42,219/- only	Rs, 36,422/- only	Rs, 1180/- only	5 months

Key dates:-

1	Date of online publication	14.11.2026 (10.00 AM)
2	Start date & time of bid submission (Online)	14.11.2026 (11.00 AM)
3	End date & time of bid submission (Online)	25.11.2026 (11.00 AM)
4	Due date for opening of tender (Technical bid)	25.11.2026 (03.00 PM)

No. 1296
sd/- Deputy Chief Engineer
(Op) Circle, HPSEBL, Shimla-9

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARMENT
INVITION FOR BIDS (IFB)
The **Executive Engineer, Indora Division, HP.PWD. Indora, Tehsil Indora, Distt. Kangra (HP)** on behlf of Governor of HP invites the Percentage rate in Electronic tendering system from the eligible Class of Contractor registered in HP.PWD., for the work as detailed in the table. The cost of tender & Earnes Money will be excepted online mode only.

S. N.	Name of work	Estimated cost (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Starting date for downloading of Bid	Deadline for submission of the Bid	Time Limit	Cost of Tender (in Rs.)	Eligible Class of Contractor
1.	MMSY/ 2026-27- C/O link road Uleharian Peer Baba to shamshan Ghat road Km. 0/00 to 0/600 (SH:-Providing and Laying GSB, Wet Mix & 30mm thick Bituminous concrete in km. 0/00 to 0/600.	13,84,797	27,700	18.11.2026 At 10.00 AM.	26.11.2026 upto 5.00 PM	Two Months	500	Class-D
2.	MMSY/ 2026-27- C/O Pucca Path to Shamshan Ghat (DHiman Mohalla) Ward No. 01, Village Thatholi, Tehsil Indora, Distt.Kangra (HP) (SH:- C/O C.C. pavement at RD. 0/00 to 0/045 & C/O PCC R/ Wall for approaches at RD. 0/00 to 0/005, 0/005 to 0/045 RSH and C/O PCC E/ Wall at RD. 0/00 to 0/045) (LHS).	8,68,166	17,400	18.11.2026 At 10.00 AM.	26.11.2026 upto 5.00 PM	Two Months	350	Class-D

The Bidders are advised to note other details of tender from the Department website www.hptenders.gov.in. & the Technical Bid will be opened in this office on 27.11.2026 at 11.00 AM.

Executive Engineer,
Indora Division, HPPWD, Indora,
Telephone No. 01893-22412336, e-mail- eepwd-indora-hp@gov.in
RO No-4718
On behalf of Govt. of Governor